8/12/25

पत्रावली पेश हुई दावा वादी डिक्री लिखा जाकर है
[illegible] निर्णय [illegible] आदेश
पत्रावली शामिल [illegible]
[illegible]
जावे।

[illegible signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

सिद्वीक पुत्र शरीक उम्र 68 साल जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

——वादीगण

बनाम

1. खुर्शीद पुत्र कमरूद्दीन उम्र 50 साल जाति मुसलमान निवासी हटरियान के पास ढोलीखार करौली राज0
2. उस्मान पुत्र अन्जार विडी वाला जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी हटरिया तोपखाने के फर्स के नीचे कहार पाडा के पास करौली तहसील करौली जिला करौली राज0
3. अन्सार पुत्र वशीर खॉ –भूत पूर्व चैयर मैन उम्र 55 साल जाति मुसलमान निवासी निगाड खाना दरवाजे के नीचे कहार घटाके पास ढोली खार करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 11/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अशफाक अहमद,** एडवाके मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री लियाकत अली, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है वह आराजी खसरा नंबर 2817 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली में कोई निर्माण कार्य नहीं करें एव वा के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में व्यवधान नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 8/12/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.05.01 12:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–11/22 तारीख रजु:–24.03.2022

उनवान

सिद्दीक पुत्र शरीक उम्र 68 साल जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

––वादीगण

बनाम

1. खुर्शीद पुत्र कमरूद्दीन उम्र 50 साल जाति मुसलमान निवासी हटरियान के पास ढोलीखार करौली राज0
2. उस्मान पुत्र अन्जार विडी वाला जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी हटरिया तोपखाने के फर्स के नीचे कहार पाडा के पास करौली तहसील करौली जिला करौली राज0
3. अन्सार पुत्र वशीर खॉ –भूत पूर्व चैयर मैन उम्र 55 साल जाति मुसलमान निवासी निगाड खाना दरवाजे के नीचे कहार घटाके पास ढोली खार करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांकः– 8/12/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2817 वाके मासलपुर गेट बाहर भूत के बन्ध के पास करौली तहसील करौली में स्थित है जोवादी के जैर खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी में जिसमें वादी अपनी दीगर खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें वादी अपनी दीगर आराजीयात के साथ काश्त कर अपने परिवार का पालन करता है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 खुर्शीद व उस्मान भूमाफिया हे तथा गरीबो की भूमियों पर नाजायज कब्जा कर नोट कमाने के आदी है मै एक गरीब व्यक्ति हूं मात्र काश्त का कार्य [illegible] परिवार का पालन करता हूं। वादी का खसरा नंबर 2817 [illegible] है तथा कुछ हिस्सा टीले नुमा है वादी अपने दावे के [illegible] संलग्न नक्शे में मार्क ए0बी0सी डी भूमि को विवादित भूमि के रूप में द[illegible]र रहा हूं। क्योंकि मेरी खसरा नंबर 2817 में आये दिन उस्मान व खुर्शीद प्रतिवादी नंबर 1 व 2 अपनी दादागिर्दी के बल पर बिना पैमाईश कराये मुझ वादी की भूमि को अपनी भूमि बताकर प्लॉट की शक्ल में बेचकर पैसा कमा रहे है पूर्व में भी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.01 12:57:58 IST
Reason: SelfAttested

आरिफ नाम के व्यक्ति को मौके पर बुलाकर खुर्शीद व उस्मान ने मार्क ए0बी, सही. डी मेरी भूमि के वाजनिव उत्तर के कुछ रकवे पर जबरन निर्माण कार्य करने की चैष्ठा की थी। जिस पर प्रार्थी वादी ने श्रीमान के यहॉ दिनांक 24–12–2021 को आरिफ, खुर्शीद व उस्मान के विरूद दावा लाला पडा, जो इस समय श्रीमान ने यहॉ पैण्डिंग है तथा जिसमें तारीख पेशी 31–3–2021 नीयत है तथा श्रीमान के नोटिस मिलने पर खुर्शीद व उस्मान ने आरिफ का काम रूकवा दिया। श्रीमान के यहॉ से नोटिस मिलने पर उक्त खुर्शीद व उस्मान प्रतिवादीगण ने मुझ वादी को बहुत गालियां वकी और खुले रूप से यह धमकी दी कि एस0डी0ओ0 साहब एवं पुलिस वाले तेरा कब तक साथ देंगे और हम तेरी पूरी जमीन पर शने शने कब्जा कर लेंगे और दूसरे लोगो से करवायेंगे। अपनी इसी प्लांनिग के तहत प्रतिवादी खुर्शीद व उस्मान प्रतिवादीगण अब नया साथी प्रतिवादी नंबर3 अन्सार पुत्र वशीर को बना लिया है तथा दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शा भूमि मार्क ए, बी, सी, डीके 45 35 फीट की नाप में है पर जबरन मेरे इस खसरा नंबर 2817 के भू भाग में खुदाईका काम दिनांक 11–3–2022 से प्रारम्भ करा दिया तथा स्वयं मौके पराखाडे खाडे होकर अन्सार को यह कह देते हुऐ खुर्शीद व उस्मान ने खुदाई का कार्य शुरू करा दिया और प्रारम्भ में मेरे उक्त खसरा नंबर 2817 में 30 बाई 30 में खुदाई शुरू कर करवाई जो अब बढते बढते 45 बाई 35 फीट तक मेरे रकवे भूमि को दबा लिया है जब कि खुर्शीद व उस्मान या अन्सार की कोई खातेदारी की भूमि मेरी खसरा नंबर 2817 से भिडी हुयी नही हे जबकि मेरे खसरा नंबर मे से भिडी हुइ भूमि खसरा नंबर 2815 व 2816 है जिनसे दूर दूर तक भी प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा था खातेदारी के इन्द्राजात नही है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद माननीय जिला कलेक्टर साहब व श्रीमान एस0पी0साहब एवं दीगर उच्चाअधिकारीयों की भी मेरी भूमि में जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने की शिकायत की, परन्तु प्रतिवादीगण भूमाफियां व पैसे वाले है राज कानून से निडर है पुलिस है इनकी सांठ गांठ बनी रहती है। इस कारण पुलिस भी मूॅह भरा ईकर देते है। आज दिनांक 23–2–2022 को प्रतिवादीगण ने मौके पर दासा फेरने के लिये कारीगर बुला लिये क्योंकि मेरी नींव खोदने की शिकायत पर पुलिस ने कोई अमल नही किया मैने स्वयं ने मौके पर जाकर हाथ जोड प्रतिवादीगण से कहा कि मेरी गरीबी कमजोरी हालत में हू मेरे पीछे क्यो पडे हुऐ हो तुम्हारे पास कोई रजिस्ट्री हमे या कोई इकरार नामा हो याको हूं खातेदारी इन्द्राजात हो तो मुझको बताओ तो मुझे मौके पर मारने को पीटने को आमादा हो तथा सीधे सीधे धमकी दे दी कि तेरी पुलिस व प्रशासन कोई भी आ हमें कोई नही रोक सकता है हमारे पैसे व लठठ में दम है। तथा प्रतिवादीगण ने मौके

खण्ड अधिकारी
करौली (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.01 12:57:58 IST
Reason: SelfAttested

पर ईटों भी पटकवाना शुरू कर दिया है लगातार कार्य जारी है। मेरी खातेदारी भूमि में बिना हकूक के एवं कनवर्सन के अकृषि कार्यजबरन किया जा रहा है। ऐसी सूरत में प्रतिवादीगण को फौरी तौर पर जरिये हुकम इम्तनाई दवामीसे पाबंद फरमाया जावे कि वो मेरी भूमि खसरा नंबर 2817 में मार्क ए.बी.सी.डी में या अन्य किसी भी भू भाग में जबरन निर्माण कार्य नालो स्वयं करे ना किसी दीगर से कोई निर्माण कार्य करवाये, कृषि भूमि के कब्जे व उपयोग उपभोग वादी में कोई व्यवधान अवरोध पैदा नातो स्वयं करे ना दीगर से करावे व कृषि भूमि को अकृषि में निर्माण कर कराकर परवर्तन नही करे ना करावें। विनाय मुखासमत प्रतिवादीगण के विरूद दिनांक 11–3–2022 को जबरन खुदाई कार्य प्रारम्भ करने एवं इसके वाद काम ना रोकने एवं दिनांक 23–3–2022 को जबरन भवन निर्माण करने की ऐलानिया धमकी देने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा दावा अंदी मियाद पैश है। व काबिल समाअत अदालत हाजा है। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादीगण का दिनांक 16.8.22 जबाव बंद किया गया।

विवाद्यक बिन्दू वादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किये गयेः–

1. आया आराजी खसरा नंबर 2817 वांके मासलपुर गेट बाहर करौली भूत के बंध के पास करौली तहसील करौली राजस्थान के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें संलग्न नक्शा दावा के मार्क ए, बी, सी, डी पर कब्जा कर प्रतिवादीगण अकृषि कार्य कर भवन निर्माण करने पर तुले हुए है तथा नाजायज तौर पर संलग्न नक्शा मार्क ए, बी, सी, डी पर की गई दासा बंधी को वादी हटवाने का हकदार है।

–वादी

2. दादरसी

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी की मौखिक साक्ष्य में वादी सिद्दिक पीडब्ल्यू–1 के बयान लेख बद्व किये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श–1 व संवत 2072–75 प्रदर्श–2 पेश की है। साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 13.11.2025 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.01 12:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

बहस वकील वादी व प्रतिवादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि खसरा नंबर 2817 कस्बा करौली वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 भू–माफिया है और भूमि पर नाजायज कब्जा कर नोट कमाने के आदी है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 24.12.2021 को वादग्रस्त भूमि में मार्क ए, बी, सी, डी भाग पर अनाधिकार 45x35 नाप खुदाई कर दासाबंदी निर्माण कार्य अवैध तौर पर कर लिया है। जिससे वादी हटवाने के अधिकारी है। वादी ने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श–1 पेश की है। दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील वादी का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस विवाद्यक के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2076–79 से प्रदर्श–1 पेश की है। जिसमें भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज है। मौखिक साक्ष्य में वादी ने भूमि पर अपना कब्जा होना कथन किया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा 45x35 लम्बाई चौडाई में अवैध दासाबंदी करना बताया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबाव दावा या साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। भूमि वादी की खातेदारी की होना साबित है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2817 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वादी की खातेदारी व कब्जे की होना प्रदर्श–1 जमाबंदी से साबित है। प्रतिवादीगण को वादी की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण हक हकूक नहीं है। वादी भूमि में किये गये निर्माण को हटवाने के अधिकारी है और प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के हकदार है।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 2817 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली में कोई निर्माण कार्य नहीं करें एवं वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में व्यवधान नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.01 12:57:58 IS
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 8/12/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली